



S.C.M.S
2020/00075
08/02/2021

अज अदालत तहसीलदार / नायब तहसीलदार सिणधरी तहसील सिणधरी

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी वनाम श्री. मांगाराम
हलका भूक वगलठिह पुत्र श्री. मांगाराम जाति मेठावाण
निवासी भूक वगलठिह

किस्म मुकदमा धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 गु.नं. 72 वर्ष 2020

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाहीमय इनिशियलस जज | हुकम और तारीख तागिल की |
|------------|--|---|
| 23-12-2020 | पटवारी हलका भूक वगलठिह ने रिपोर्ट पेश कर सूचित किया कि उक्त अप्रार्थी ने संवत् 2020 में मौजा भूक वगलठिह के खसरा नंबर 27/3 रकबा 1200 वर्ग फी. किस्म भूमि 3/1/मु. पर नाजायज अतिक्रमण कर काश्त व कब्जा किया है, अतः राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 11-01-2021 को बमुकाम सिणधरी में पेश हों। | |
| 11-01-2021 | पत्रावली पेश हुई। गैर सायल उपस्थित। पीगलीन भाधिकारी शणकी प्र कार्य हेतु लोचपुर प्यारे हे पत्रावली दिनांक 18-01-2021 को पेश है। |  मांगाराम |
| 18-01-2021 | पत्रावली पेश हुई। गैर सायल उपस्थित। गैर सायल ने लोच हेतु स्तम्भ याहा जा डिजा कर पत्रावली दिनांक 27-01-2021 को पेश है। |  मांगाराम |

तहसीलदार सिणधरी
जिला-वाड़मेर

27-01-2021

पत्रावली पेश हुई। गैर साफल की तरफ से उनके वकील ने उपस्थित होकर जवाब हेतु साफल चाहा जो डिजा जाकर पत्रावली दि० 10-2-21 को पेश है।

[Handwritten signature]

तहसीलदार सिणधरी
जिला-वाड़मेर

10-2-2021

पत्रावली पेश हुई। पीठालीन अधिकारी माण्ड उभरी पर सिमाना पधार है पत्रावली दि० 17-2-2021 को पेश है।
10-2-2021

17-2-2021

पत्रावली पेश हुई। गैर साफल अनुपास्थित। गैर साफल को जवाब हेतु मन्त्रिम भवलय डिजा जाकर पत्रावली दि० 22-2-2021 को पेश है।

तहसीलदार सिणधरी
जिला-वाड़मेर

22-2-2021

पत्रावली पेश हुई। गैर साफल अनुपास्थित। गैर साफल को जवाब हेतु बार-बार अवसर डिजे जाने के उपरान्त भी कोई विधि सम्मत साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये, गैर साफल को अतिवृत्ती मानते हुए पत्रावली फेसल सुकार है। निष्ठा मलय के लिखा जाकर शीघ्र पत्रावली है। पत्रावली फेसल सुकार होकर डाखिल डफतर है।

तहसीलदार सिणधरी
जिला-वाड़मेर